

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास विभाग

संख्या: 742/VII-1/2013/166-उद्योग/2011

देहरादून : दिनांक: 04 अप्रैल, 2013

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 "The Uttarakhand Enterprises (Single Window Facilitation and Clearance) Act, 2012 की धारा-14 के प्राविधान के अनुसार प्रदेश में मेगा उपक्रमों को आकर्षित करने एवं प्रोत्साहन योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किये जाने हेतु मेगा इण्डस्ट्रीयल तथा इन्वैस्टमेंट पालिसी, 2013 प्रख्यापित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त मेगा इण्डस्ट्रीयल तथा इन्वैस्टमेंट पालिसी, 2013 के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाले मेगा प्रोजेक्ट हेतु तत्कालिक प्रभाव से निम्नानुसार रियायतें अनुमन्य होंगी :-

- (1) मेगा इण्डस्ट्रीयल तथा इन्वैस्टमेंट पालिसी, 2013 (Mega Industrial & Investment Policy, 2013) के अन्तर्गत उद्योग के अतिरिक्त चिकित्सालय (Hospital) भी सम्मिलित होंगे।
- (2) रू० 75.00 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश की नई परियोजनायें (Projects) मेगा प्रोजेक्ट कहलायेंगी।
- (3) इस नीति के तहत यदि कोई विद्यमान (Existing) उद्योग विस्तारीकरण के तहत रू० 75.00 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश करता है तो ऐसा विस्तारीकरण भी इस नीति से आच्छादित होगा।
- (4) मेगा प्रोजेक्ट के रूप में स्थापित होने वाले उद्योग/चिकित्सालय को भूमि के क्रय विलेख पत्र/लीज डीड के निष्पादन/पंजीकरण में 50 प्रतिशत स्टॉम्प शुल्क प्रभार से छूट दी जायेगी।
- (5) इस नीति के अन्तर्गत स्थापित उद्योगों से मात्र 1 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय व्यापार कर लिया जायेगा।
- (6) यदि कोई उद्योग/चिकित्सालय अपने परिसर में विद्युत का कैपटिव जनरेशन (Captive Generation) करता है तो विद्युत शुल्क (Electricity Duty) से 07 वर्षों तक 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
- (7) यदि उद्योग एवं चिकित्सालय की स्थापना सिडकुल द्वारा आवंटित भूमि पर की जाती है तो इस हेतु आवंटित की जाने वाली भूमि हेतु दर का निर्धारण सिडकुल द्वारा एकीकृत औद्योगिक आस्थान में तत्समय प्रचलित भूमि दर पर 25 प्रतिशत छूट प्रदान करने हुए किया जायेगा।

- (8) मेगा प्रोजेक्ट हेतु कच की जानी वाली भूमि पर प्रदान की जा रही उपरोक्त छूट औद्योगिक विकास विभाग/स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस प्रयोजन हेतु निर्धारित मानकों के अन्तर्गत भूमि की तय सीमा तक ही अनुमन्य होगी।
- (9) सिडकुल द्वारा दी जाने वाली भूमि के मूल्य (छूट के उपरान्त) का 20 प्रतिशत आवंटन पर तथा शेष 07 वर्ष की समान किस्तों में निर्धारित ब्याज सहित देय होगा।
- (10) तीन वर्षों तक क्रियान्वित (Operational) न होने वाले उद्योग/चिकित्सालय से उपरोक्त अनुमन्य समस्त रियायतें वापस ले ली जाएंगी।
- (11) प्रारम्भ में उक्त छूट वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्राप्त होने वाले प्रस्तावों हेतु मान्य होगी तथा वित्तीय वर्ष के अन्त में इसके बढ़ाये जाने पर विचार किया जायेगा।

(शंकर शर्मा)

प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 742 (1)/VII-I/2013/166-उद्योग/2011, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. समस्त निजी सचिव, मा0 केबिनेट/राज्य मंत्रीगणों को मा0 केबिनेट/राज्य मंत्री गणों के संज्ञानार्थ।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पोड़ी/कुमाऊँ।
7. निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, एन0.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून को वेबसाईट पर प्रकाशित किये जाने हेतु।
11. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की-हरिद्वार को इस-निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नीति को आगामी गजट में प्रकाशित करते हुए नीति की 100 प्रतियाँ औद्योगिक विकास विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से.

(शैलेश बगौली)

अपर सचिव।